

उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड

मुख्यालय- 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

परिपत्र संख्या:-वित्त/2015-16/सी-108/13

दिनांक:- 30 मई, 2015

उप महा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक
उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
समस्त शाखाएँ
उत्तर प्रदेश।

विषय : मियादी निक्षेपों पर ब्याज दरों में परिवर्तन।

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या- वित्त/2014-15/सी-107/07 दिनांक 07 मई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सावधि निक्षेपों पर दिनांक 09.05.2015 से ब्याज दरों में परिवर्तन किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

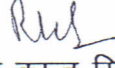
मुद्रा बाजार की स्थिति एवं भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा निक्षेपों पर ब्याज दरों में किये गये परिवर्तन एवं बैंक के संसाधनों पर प्राप्त रिटर्न को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31.05.2015 से मियादी निक्षेपों की ब्याज दरों में परिवर्तन किया गया है। तदनुसार दिनांक 31.05.2015 अथवा उसके पश्चात् जमा एवं नवीनीकृत होने वाली सावधि निक्षेपों की धनराशि पर ब्याज दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्र. सं.	खाते का प्रकार	दिनांक 31.05.15 से प्रभावी ब्याज दर % वार्षिक
(अ) सावधि निक्षेप खाता:-		
1.	7 दिन से 14 दिन तक	4.25
2.	15 दिन से 45 दिन तक	5.00
3.	46 दिन से 90 दिन तक	5.50
4.	91 दिन से 180 दिन तक	6.25
5.	181 दिन एवं उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम	7.75
6.	1 वर्ष एवं उससे अधिक किन्तु 1½ वर्ष तक	8.00
7.	1½ वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम	8.00
8.	3 वर्ष एवं उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	8.00
9.	5 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 10 वर्ष तक	7.75
(ब) वरिष्ठ नागरिकों हेतु सावधि निक्षेप खाता:-		
1.	1 वर्ष एवं उससे अधिक किन्तु 1½ वर्ष तक	8.50
2.	1½ वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम	8.50
3.	3 वर्ष एवं उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	8.50
4.	5 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 10 वर्ष तक	8.25

बैंक की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्तानुसार लागू सामान्य ब्याज दरों (Card Rate) के इतर, आवश्यकतानुसार बड़ी धनराशि (न्यूनतम ₹ 5 करोड़ एकल जमा) की सावधि निक्षेपों पर अन्य बैंकों द्वारा अनुमन्य ब्याजदरों को ध्यान में रखते हुए Market Rate के अनुसार ब्याजदर अनुमन्य की जा सकती है जिसके लिए शाखाओं द्वारा दैनिक रूप से मुख्यालय के वित्त-विनियोजन विभाग के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

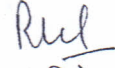
[Signature]

निक्षेपों की ब्याज दरों के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत अन्य निर्देश यथा-परिपक्वतापूर्व भुगतान के ब्याज की गणना आदि से सम्बन्धित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी। निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।


(रवि कान्त सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सचिव/महा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि. उ.प्र. को निबन्धक महोदय के परिपत्र संख्या-107/ अधि/95-96/4973 दि. 27.11.1995 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सचिव, नगरीय सहकारी बैंक लि. उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिकारी, उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि. मुख्यालय, लखनऊ।
5. प्राचार्य, कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, 21/472, सेक्टर-21, रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. महा प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, 9-10 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई- 400 001
8. मुख्य महा प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, 14 डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ।


प्रबन्ध निदेशक